उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2003-2004

प्राक्कथन

इस पुस्तिका में लोक निर्माण विभाग का वर्ष 2003-2004 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के वित्तीय बजट 2003-2004 के अनुदान सं0 54, 55, 57 तथा 58 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लिये प्रस्तावित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में विभाग की स्थिति बताई गई है।

2- प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण उनके ऊपर होने वाले व्यय के वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को यथा सम्भव संकलित करने का प्रयास किया गया है ताकि प्राविधानित धनराशि के व्यय पर अधिक अच्छा नियंत्रण रखा जा सके तथा व्यय का उपलब्धियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	प्रशासन	2
3	मार्ग विकास	3
	अ- मार्ग विकास नीति	4-5
	ब- राष्ट्रीय मार्ग	6 - 9
	स- महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं	10-15
4	भवन कार्य	16
5	बाह्य सहायता	17-18
6	अन्वेषणालय	19
7	कम्प्यूटरीकरण	20-21
8	प्रशिक्षण	22
9	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम	23-25
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	26-28
11	लो0नि0वि0 संगठन की संरचना(परिशिष्ट-अ)	29

भूमिका

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का मूलभूत उददेश्य :-

यह विभाग प्रदेश में सड़कों एवं पुलों का निर्माण, पुनः निर्माण व सुधार तथा उनका रख-रखाव करता है। राज्य सरकार के कतिपय विभागों के भवनों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षरण का दायित्व भी इसी विभाग पर है। यह विभाग प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गो के अधिकतम भाग के रख रखाव के लिए भी उत्तरदायी है।

लो0नि0वि0 के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डल
1	पश्चिमी	मेरठ	मेरठ, सहारनपुर
2	उत्तर पश्चिमी	बरेली	बरेली
3	आगरा	आगरा	आगरा
4	मध्य	लखनऊ	लखनऊ
5	दक्षिण मध्य	कानपुर	कानपुर
6	फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद, देवीपाटन
7	झांसी	झांसी	झांसी, चित्रकूट धाम
8	पूर्वी	वाराणसी	वाराणसी, मिर्जापुर
9	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर, बस्ती
10	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़
11	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कार्यरत निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम :- प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :- भवन कार्यो में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लानें के लिए 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

प्रशासन

लोक निर्माण विभाग में प्रदेश स्तर पर प्रमुख अभियन्ता का कार्यालय स्थापित है, जिसमें अभियन्ताओं के कार्यो का समन्वय, पर्यवेक्षण तथा नीति सम्बंधी मामलों का कार्य सम्पन्न किया जाता है। प्रमुख अभियन्ता की सहायता के लिए मुख्य अभियन्ता भवन(स्तर-1),मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक(स्तर-1), मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता (डास्प एवं सोडिक स्तर-2), मुख्य अभियन्ता,मुख्यालय प्रथम व द्वितीय (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (स्तर -2), 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), मुख्य अभियन्ता परिवाद (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता वि./या.(स्तर2), मुख्य वास्तुविद(मुख्य अभियन्ता,स्तर-2के समकक्ष) के पद सृजित हैं। लो0नि0वि0 संगठन की संरचना परिशिष्ट-अ मे दर्शायी गयी है।

2- विभाग की इकाई खण्ड है। प्रत्येक जिलें में 1 से 4 खण्ड स्थापित है। खण्डो की संख्या, कार्य की प्रकृति एवं परिमाण पर निर्भर होती है।

गत तीन वर्षो में लोक निर्माण विभाग के खण्डों एवं वृत्तों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

खण्डो एवं वृत्तो के प्रकार	2000-01		2001-02		2002-03	
	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त
अधिशासी (Executive)						
मैदानी क्षेत्र के मार्ग तथा भवन	165	32	154	29	158	29
राष्ट्रीय मार्ग	25	05	27	05	25	04
एशियन विकास बैंक परियोजना	39	08	50	12	47	12
विद्युत /यांत्रिक /एस.आर.पी.-2 यू0पी0-डास्प						
योगः-	229	45	231	46	230	45
अनाधिशासी (Non-Executive)						
सर्वेक्षण,नियोजन परियोजना	18	05	17	05	18	06
अन्वेषण, विश्व बैक कार्य तकनीकी प्रकोष्ठ	02	-	02	-	02	--
योग	**20**	**05**	**19**	**05**	**20**	**06**
महायोगः-	**249**	**49**	**250**	**51**	**250**	**51**

3- विभागीय पदों की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

पद	स्थायी	अस्थायी	योग
राजपत्रित	1068	528	1596
अवर अभियन्ता	4268	-	4268
मानचित्रकार	193	-	193
नियमित कर्मचारी (समूह ग एवं घ)	31,555	-	31,555
कार्य प्रभारित कर्मचारी	-	16897	16897
दैनिक वेतन भोगी	-	7558	7558
योगः-	37084	24983	62067

मार्ग विकास

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गो का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने का दायित्व प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग का है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में उत्तरांचल राज्य सहित सड़कों की लम्बाई 15113 कि0मी0 थी जो 31.3.2002 को 1,12,822 कि0मी0 हो गयी है ।

भारतीय सड़क काग्रेस द्वारा सन् 1985 में 20 वर्षीय (1981 से 2000) मार्ग विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना की रूप रेखा तैयार की गई थी जिसे 'लखनऊ प्लान' का नाम दिया गया। इसके सापेक्ष विभिन्न श्रेणियों के मार्गों सहित मार्च 2002 तक उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है।

मार्ग की लम्बाई (कि0मी0 में)						
क्रम सं0	मार्ग का वर्गीकरण	लखनऊ प्लान के अनुसार 1981 से 2000 की मार्ग विकास योजना के लक्ष्य (कि0मी0 में)	31.3.99 तक	31.3.00 तक	31.3.01 तक	31.3.02 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय मार्ग	5,888	4,232	4,495	3,811	4,860
2	राज्य मार्ग	35,300	8,702	9,486	9,939	9,609
3	प्रमुख जिला मार्ग	59,310	8,789	9,831	7,198	7,305
4	अन्य जिला मार्ग	0	27,440	25,351	25,615	25,418
5	ग्रामीण मार्ग *	2,54,662	72,832	77,580	65,470	65,630
	योगः-	3,55,160	1,21,995	1,26,743	1,12,033	1,12,822

मार्ग विकास नीति

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए सड़कों, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं पुलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की मार्ग विकास नीति वर्ष 1998 में घोषित की गयी थी। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में सुचारू परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि उत्पाद के विपणन की सुचारू व्यवस्था से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकेगी। मार्ग विकास नीति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम व योजनाओं को मूर्तरूप दिया जायेगा।

(क) ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर प्रदेश के एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सन 2005 तक तथा शेष सभी गांवों को 2010 तक सर्वऋतु योग्य सड़कों से जोड़ने की योजना है।

(ख) यातायात के निर्बाध गति से चलने के लिए गड्ढामुक्त मार्गों की नितान्त आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मार्गों को गड्ढामुक्त रखने की सतत् प्रक्रिया को मार्ग नीति में विशेष बल दिया गया है।

(ग) प्रदेश के मार्गों के समुचित अनुरक्षण के लिए मार्गों का सामयिक नवीनीकरण व यातायात की आवश्यकतानुसार मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण आवश्यक है जिसके लिए वांछित संसाधनों में बढ़ोत्तरी के लिए "सड़क निधि" की स्थापना की गयी हैं। यातायात के घनत्व के आधार पर मार्गों के श्रेणी उच्चीकरण की सतत् प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गयी हैं।

(घ) मार्गों के साथ-साथ वृहद सेतुओं के निर्माण एवं कमजोर व संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार रेलवे सम्पारों के स्थान पर रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण भी यातायात के अबाध गति से चलने हेतु अत्यन्त आवश्यक है। शहरों के यातायात के लिए फ्लाई ओवर्स का निर्माण भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेतुओं, उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं व फ्लाई ओवर्स के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त विभिन्न चरणों में इनका निर्माण कराया जायेगा।

(च) घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के बाई पास, रिंग रोड व एक्सप्रेस वेज के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों एवं शासकीय निर्माण एजेंसीज के मध्य इक्विटी सहभागिता के आधार पर संबंधित योजनाओं को बी0ओ0टी0 पद्धति से निर्माण कराने की योजना है।

(छ) मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिकाधिक धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करके निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जायेगी।

(ज) विभाग के संसाधनों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को डबटेलिंग करके वित्तीय संसाधनों के आधार का विस्तार किया जायेगा।

(झ) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन किये जायेंगें जिसमें कम्प्यूटरीकरण एवं डाटा बैंक की स्थापना भी सम्मिलित है।

(ट) मार्गों के अनुरक्षण का कार्य केवल लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

राष्ट्रीय मार्ग -वर्ष 2002-2003

(31.3.2003 तक की स्थिति)

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में (उत्तरांचल राज्य को छोड़कर) 30-राष्ट्रीय मार्ग है जिनकी लम्बाई 4931.00 कि.मी. है, जिसका राष्ट्रीय राज मार्गवार विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	रा0मा0 सं0	राष्ट्रीय मार्ग का नाम	रा0मा0 की उत्तर प्रदेश म कुल लम्बाई (कि.मी. में)	लो.नि.वि. के अधीन लम्बाई (कि.मी.में)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन लम्बाई (कि0मी0में) (एन.एच.ए.आई.)		
					लो.नि.वि. के अनुरक्षण में	पूर्ण रूपेण एन.एच. ए.आई. के अधीन में	योग एन.एच. ए.आई.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया-बाढ़ी-पल्सित वैद्यावती -बारा-कोलकाता	756.000	0.000	--	756.000	756.000
2	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इन्दौर-धुले-नासिक -थाने-मुम्बई	28.886	-	6.000	22.886	28.886
3	7	वाराणसी-मनगँवा-रीवा-जबलपुर-लखनाडोन-नागपुर-हैदराबाद-कुरनौल- बंगलौर और कृष्णागिरी- सलेम- डिंडीगुलमदुरई, कैपकोमोरिन (कन्याकुमारी)	125.200	125.200	-	-	-
4	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	42.360	42.360	-	-	-
5	19	गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर-पटना	127.400	127.400	-	-	-
6	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	491.000	451.765	-	39.235	39.235
7	25	लखनऊ-कानपुर-झाँसी-शिवपुरी	254.600	-	190.480	64.120	254.600
8	26	झांसी-ललितपुर-लखनाडौन	131.695	-	131.695	-	131.695
9	27	इलाहाबाद-मनगँवा	45.627	45.627	-	-	-
10	28	लखनऊ-फैजाबाद-बस्ती-गोरखपुर-गोपालगंज-मुजफ्फरनगर-मोकामा के पास रा.मा. सं. -31 के जंक्शन तक	367.570	-	367.570	-	367.570
11	29	वाराणसी-गाजीपुर-गोरखपुर	209.095	209.095	-	-	-
12	56	लखनऊ-हैदरगढ़-जगदीशपुर-सुल्तानपुर-वाराणसी	276.700	276.700	-	-	-
13	58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-बद्रीनाथ-मानापास	134.350	134.350	-	-	-
14	73	रूड़की-सहारनपुर-यमुनानगर-साहा पंचकुला	48.890	48.890	-	-	-
15	74	हरिद्वार-नजीबाबाद-अफजलगढ़-जहांनाबाद-पीलीभीत-बरेली	180.000	180.000	-	-	-
16	75	ग्वालियर-झाँसी-छतरपुर-रीवा	17.145	-	17.145	-	17.145
17	76	पिडवारा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-कोटा-शिवपुरी-झांसी-इलाहाबाद	373.376	373.376	-	-	-
18	86	कानपुर-छतरपुर-सागर	144.700	144.700	-	-	-

19	87	रामपुर-बिलासपुर-पंतनगर-हल्द्वानी-नैनीताल	42.600	42.600	-	-	-
20	91	गाजियाबाद-बुलन्दशहर-खुर्जा-अलीगढ़-एटा -कन्नौज-कानपुर	408.400	408.400	-	-	-
21	92	बेवर-इटावा-ग्वालियर-(मध्य-प्रदेश बार्डर तक)	73.400	73.400	-	-	-
22	93	आगरा-अलीगढ़-बबराला-चन्दौसी-मुरादाबाद	233.000	233.000	-	-	-
23	96	अयोध्या(फैजाबाद)-सुल्तानपुर- प्रतापगढ़-इलाहाबाद	153.795	153.795	-	-	-
24	97	गाजीपुर-जमानियॉ-सैयदराजा	56.200	56.200	-	-	-
25	75 का विस्तार	रीवॉ-रेनुकूट-गरवां-डाल्टनगंज-रांची	91.278	91.278	-	-	-
26	24-ए	लखनऊ बाईपास(रिंग रोड)	10.794	10.794	-	-	-
27	58-ए	दिल्ली-गाजियाबाद-वाया मोहननगर	11.300	11.300	-	-	-
28	72-ए	छुटमलपुर-मोहन्ड-देहरादून	33.000	33.000	-	-	-
29	2 ए	बारा-अकबरपुर-सिकन्दरा	39.900	0.000	-	39.900	39.900
30	56 ए 56 बी	लखनऊ-बाईपास(रिंग रोड)	22.850	0.000	-	22.850	22.850
		कुल लम्बाई	4931.111	3273.230	712.890	944.991	1657.881
		अर्थात्	4931.000	3273.000	713.000	945.000	1658.000

राष्ट्रीय मार्ग की महत्वपूर्ण योजनाएँ

1- बाईपासः-

(अ-1)- पूर्ण योजनायेंः-

1.	फैजाबाद बाईपास यातायात हेतु खोला जा चुका है। सुरक्षात्मक कार्य 3/2003 में पूर्ण करा दिये गये है।
2.	बस्ती बाईपास 11 /2002 में पूर्ण करके यातायात के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
3.	ललितपुर बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा शहजाद नदी पर निर्मित सेतु यातायात के लिए उपलब्ध है।
4.	हापुड़ बाईपास एन.एच.ए.आई. द्वारा पूर्ण करके दिनांक 13.8.02 को यातायात के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।
5.	मुरादाबाद बाईपास एन.एच.ए.आई. द्वारा पूर्ण करके दिनांक 2.7.02 को यातायात के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

(अ-2)- निर्माणाधीन योजनायेंः-

6 (क)	रा.मा.-24 से रा.मा.-28 को जोड़ने वाला लखनऊ बाईपास (रिंग-रोड रा.मा.-24 ए) लम्बाई 10.794 कि.मी. की स्वीकृति लागत रू. 73.73 करोड़ है। इस अतिमहत्वपूर्ण योजना में सीतापुर रोड पर इंजीनियरिंग कालेज के समीप एक 2 लेन के नए उपरिगामी सेतु (पहले से 2 लेन का उपरिगामी सेतु लगभग 2 वर्ष पूर्व बना हुआ है, इसके बगल में दूसरा बनाया जाना है), खुर्रमनगर चौराहे के समीप कुकरैल नाले पर 3 नं. प्रत्येक 2 लेन चौड़े सेतु एवं राजकीय पालीटेक्निक चौराहे पर 4 लेन चौड़े ग्रेड सेपरेटर के निर्माण सहित 4 लेन " डिवाइडेड कैरजवे" तथा दोनों ओर सर्विस रोड एवं ड्रेन निर्माण के साथ बाईपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। समस्त कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि 10 /2004 है।
(ख)	रा.मा.-28 को रा.मा.-56 होते हुए रा.मा.-25 को जोड़ने वाले लखनऊ शहर के बाईपास के भाग रिंग-रोड (रा.मा. -56 ए, 56 बी) जिसकी लम्बाई 22.850 कि.मी. है, का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए. आई.) द्वारा किया जा रहा है। इसे पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि 3/2004 है।

ब- <u>प्रस्तावितः-</u>

1- बरेली बाईपास के भूमि अध्याप्ति हेतु रू. 1207.20 लाख की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राज़ मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से 11 /2001 में प्राप्त हो चुकी है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही हो रही है।

2- वाराणसी बाईपास के संरेखण (फेज-1) का अनुमोदन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से 11 /2001 में प्राप्त हुआ है, जिसके भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 1466.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

3- गाजीपुर बाईपास के निर्माण हेतु संरेखण का अनुमोदन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हो चुका है। भूमि अध्याप्ति हेतु आगणन सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजा जा चुका है। इसके निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना आख्या भी मंत्रालय को भिजवाया जा चुका है।

(II) <u>सेतु निर्माणः-</u>

(i) <u>लघु सेतुः-</u>

1- रा0मा0-56 के कि0मी0 191 में पीली नदी सेतु 6/2002 में पूर्ण करके यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

2- रा0मा0-76 के कि0मी0 337 में स्थानीय नाला पर लघु सेतु सं0 337/2 का निर्माण 6/2002 में पूर्ण हो गया है।,

(ii) <u>वृहद सेतु :-</u>

1- लखनऊ-कानपुर रा0मा0-25 के कि.मी.-28 में सई सेतु का निर्माण मुख्य सेतु माह 11/02 में पूर्ण कर लिया गया है। पहुँच मार्ग का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एन.एच.ए.आइ.) द्वारा किया जाना है।

2- गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर,रा0मा0-19 पर बिहार सीमा पर घाघरा नदी पर मांझी घाट सेतु एवं पहुंच मार्ग का कार्य उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसे 12/2003 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

3- रा0मा0-24 के कि0मी0 358 में शारदा हरदोई ब्रान्च कैनाल सेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है इसे 10/2003 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4- रा.मा.-58 के कि.मी.-88 में सकौती-टाण्डा रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है इसे 3/2004 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(iii) <u>निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यः-</u>

1- वर्ष 2002-2003 में 50 मूल कार्यो को पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष 56 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। राष्ट्रीय मार्गों के राइडिंग क्वालिटी के स्तर में सुधार कार्य में वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारित लक्ष्य 197.000 कि0मी0 के सापेक्ष 315.000 कि0मी0 पूर्ण किये जा चुके है।

2- वार्षिक योजना 2002-03 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रू. 123.60 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी की गयी हैं। इसके अतिरिक्त रा0मा0-91 के कि0मी0 225.000 से 324.000 तक के भाग में कुल 7 आगणनों पर कुल रू. 26.23 करोड़ की स्वीकृतियां राइडिंग क्वालिटी के स्तर में सुधार हेतु जारी की गयी हैं।

3- वर्ष 2002-03 में राष्ट्रीय मार्गों पर नवीनीकरण कार्यों हेतु राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार 27 आगणन प्रेषित किए गये थे, जिसकी कुल अनुमानित लागत रू. 42.74 करोड़ एवं प्रस्तावित लम्बाई 351 कि.मी. है, इसके अन्तर्गत 12 आगणन जिनकी अनुमानित लागत रू. 17.79 करोड़ एवं लम्बाई 172 कि0मी0 हेतु फरवरी 2003 के अन्त में स्वीकृतियाँ प्राप्त हुयी है, कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2002-03 में नवीनकरण के अन्तर्गत 83.000 कि.मी. में सतह सुधार कार्य कराया गया। इसके अतिरिक्त 8 आगणन अनुमानित लागत रू.11.37 करोड़ 118 कि0मी0 लम्बाई हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उनके अनुमोदन के अनुसार भेजे गए, जिसमें से 6 आगणनों की कुल लम्बाई 57 कि0मी0 हेतु अनुमोदित लागत 6.32 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई, इनमें से 21 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य दिनांक 31.3.2003 तक पूर्ण करा लिया गया है तथा रू. 1.42 करोड़ का व्यय हो चुका है एवं शेष पर कार्य प्रगति में है।

4- वर्ष 2002-03 में 3/2003 तक मूल कार्यों पर रू. 136.31 करोड़ आवंटन के सापेक्ष रू. 136.16 करोड़ का व्यय किया गया तथा अनुरक्षण कार्यों पर रू. 30.66 करोड़ का व्यय किया गया है।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

1- नहर सेवा मार्गों को पक्का करने की योजनाः-

प्रदेश में उपलब्ध नहर की पटरियों के माध्यम से यातायात सुलभ कराने के उद्देश्य से नहर की पटरियों को पक्का करके आस-पास के ग्रामों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्ष 1998-99 में 802 कि0मी0 लम्बाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा 55 जनपदों में 215 नहर पटरियों को रू0 6188 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। 193 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 26 जनपदों में 136 नहर पटरियों के 280 कि0मी0 लम्बाई में रू0 2337 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। जिनमें से 123 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

वर्ष 2000-2001 से इस योजना के अन्तर्गत कोई नए कार्य प्रस्तावित नहीं किये जा रहे है। इस वित्तीय वर्ष में अधीनीत कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की गई।

2- ग्रामींण मार्ग/सेतु संबंधी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की नाबार्ड वित्त पोषित योजना आर0आई0डी0एफ0-2 से 7 तकः-

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर भौतिक प्रगति का विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं0	योजना का नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	डिलिशन के पश्चात्		3/2003 तक प्रगति (रू. करोड़ में)	
				कार्यों की सं0	लागत	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आर.आई.डी.एफ.-2						
	मार्ग	961	151.34	820	120.26	796	127.28
	सेतु	80	124.23	74	114.70	53	122.00
2	आर.आई.डी.एफ.-3						
	मार्ग	1183	111.34	1122	105.05	1122	105.07
	सेतु	25	29.84	24	29.30	17	30.50
3	आर.आई.डी.एफ.-4						
	मार्ग	1849	222.45	1733	209.28	1389	209.74
	सेतु	89	114.84	85	107.90	43	99.81
4	आर.आई.डी.एफ.-5						
	मार्ग	889	128.04	969	125.87	743	117.90
	सेतु	34	48.22	34	43.22	4	35.20
5	आर.आई.डी.एफ.-6						
	मार्ग	1468	240.53	1368	225.20	288	119.13
	सेतु	---	--	--	---	--	--
6	आर.आई.डी.एफ.-7						
	मार्ग	1684	200.66	1539	181.80	581	111.08
	सेतु	12	23.50	12	23.50	--	1.15

3. <u>डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना -</u>

इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे नगरों जिनमें नगर निगम स्थापित नहीं है, के नगरीय भागों के सुधार व जल निकासी की समस्या के निदान हेतु कार्य कराये जाते हैं। इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 97-98 में किया गया था।

वर्ष 1997-98 में प्रदेश के 15 शहरों के लिए रू0 1128 लाख की लागत से 62 कि0मी0 लम्बाई के कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से माह 03/2003 तक 14 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 1998-99 में 22 शहरों के लिए 88 कि0मी0 लम्बाई में रू0 1878 लाख के 34 कार्य स्वीकृत किये गये थे। 1 कार्य राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित होने के कारण निर्माणाधीन 33 कार्यों पर माह 03/2003 तक रू0 1848 लाख का व्यय कर 31 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 1999-2000 में 4 शहरों के लिए 14 कि0मी0 लम्बाई में रू0 251 लाख के 4 कार्य स्वीकृत किये गये । इन कार्यों पर माह 03/2003 तक 254 लाख व्यय किया गया है। 2 कार्य पूर्ण है एवं शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2000-01 में इस योजना में 10 शहरो के लिए 34 कि0मी0 लम्बाई में रू. 910 लाख के 12 कार्य स्वीकृत किये गये है। 1 कार्य अन्य योजना से पूर्ण कर लिये जाने के कारण निर्माणाधीन 11 कार्यों पर माह 03/2003 तक रू. 853 लाख का व्यय कर 8 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2001-02 में इस योजना में 2 शहरों में 3.250 कि.मी. लम्बाई में रू. 122.78 लाख के 2 कार्य स्वीकृत किये गये है माह 03/2003 तक रू. 97.48 लाख का व्यय कर 1 कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2002-03 में इस योजनान्तर्गत 1 शहर में 2.500 कि.मी. लम्बाई में रू. 65.26 लाख का एक कार्य स्वीकृत किया गया है।

4- <u>अम्बेडकर ग्राम विकास योजना (सम्पर्क मार्गों का संतृप्तीकरण) :-</u>

अनुसूचित-जाति/जन-जाति के लोगों की दयनीय आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर कई विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। परन्तु इन वर्गों की दशा में पर्याप्त सुधार परिलक्षित न होने के कारण अनुसूचित-जाति/जन-जाति की जनसंख्या के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सीधा लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से वर्ष 1990-91 में यह योजना प्रारम्भ की गयी थी।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के प्रारम्भ अर्थात् वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक उन ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया गया, जिसमें अनुसूचित-जाति/जन -जाति की

जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक थी। इस आधार पर चयनित ग्रामों के छोटे होने के कारण सृजित अवस्थापना सुविधाओं का लाभ कम जनसंख्या को मिल रहा था। जिस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में संशोधन किया गया तथा संशोधित मापदण्ड के अनुसार जनपद के सभी ग्राम 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित-जाति/जन-जाति को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सर्वाधिक जनसंख्या वाले उन ग्रामों को चयनित किया गया है, जिनमें अनुसूचित-जाति/जन-जाति की संख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1997-98 में यह निर्णय लिया गया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में पुनः संशोधन किया जाए। इस निर्णय के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को छोड़ते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से 10-10 ऐसे राजस्व ग्राम, जिनमें अनुसूचित-जाति/जन-जाति की जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी, आबादी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र (शहरी इलाकों को छोड़कर) से अपेक्षाकृत अधिक आबादी वाले 10-10 ग्रामों का चयन किया गया। किन्तु इस वर्ष अनुसूचित-जाति/ जन-जाति की 30 प्रतिशत आबादी का प्रतिबंध समाप्त किया गया।

वर्ष 2002-03 में वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 में चयनित, परन्तु असंतृप्त 2463 ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही की गयी।

5- <u>राज्य योजना सामान्य</u>

(1) <u>1.4.97 के पूर्व के कार्य :-</u>

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में पुनर्विनियोग के बाद रू0 3000.00 लाख की बजट व्यवस्था से माह मार्च 2003 तक रू0 2580.85 लाख व्यय करके 28 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

(2) <u>1.4.97 के बाद के कार्य :-</u>

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में पुनर्विनियोग के बाद रू0 2834.85 लाख की बजट व्यवस्था से माह मार्च 2003 तक रू0 2576.04 लाख व्यय करके 61 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

6- <u>जिला योजना के कार्य</u>

(अ) <u>जिला योजना सामान्य :</u>

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में बजट प्राविधान रू0 7471.05 लाख था, जिसके सापेक्ष रू0 7358.24 लाख व्यय करके 467 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

(ब) <u>जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेट प्लान) :</u>

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में बजट प्राविधान रू0 6618.68 लाख था, जिसके सापेक्ष रू. 5138.47 लाख व्यय कर 380 कार्य पूर्ण किए गये हैं।

(स) <u>जिला योजना-अम्बेडकर ग्राम (एस0एन0डी0):</u>

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में पुनर्विनियोग के बाद रू0 26,746.16 लाख की बजट व्यवस्था से रू. 24,770.89 लाख का व्यय कर 2050 कार्य पूर्ण किए गये हैं।

7- <u>विशेष विकास पैकेजः-</u>

प्रथमतः वर्ष 2001-02 मे विशेष एक-मुश्त (वनटाइम) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड /पश्चिमांचल /मध्यांचल /पूर्वांचल पैकेज में सम्मिलित कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था रू0 5093.41 लाख के सापेक्ष कुल निर्गत शुद्ध आंवटन रू. 196.69 लाख के विरूद्ध माह 3/2002 तक कुल व्यय मात्र रू0 48.66 लाख रहा।

वर्ष 2002-2003 हेतु उक्त चारों विशेष पैकेज के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के बाद नए कार्यो हेतु रू. 1212.62 लाख एवं अधिनीत कार्यो हेतु रू. 5293.15 लाख बजट व्यवस्था के विरूद्ध पैकेजवार स्थिति निम्न रही हैः-

(अ) <u>बुन्देलखण्ड विकास पैकेजः-</u>

वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में कुल रू. 1952.56 लाख अधिनीत कार्यो हेतु उपलब्ध बजट-व्यवस्था में से माह 03/2003 तक कुल रू. 1333.54 लाख का व्यय कर 45.400 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया गया है एवं 77.980 कि0मी0 लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। नए कार्यो हेतु उपलब्ध बजट-व्यवस्था रू. 413.47 लाख के सापेक्ष माह 3/2003 तक रू. 281.31 लाख व्यय किया गया तथा कार्य प्रगति पर है।

(ब) <u>पश्चिमांचल पैकेजः-</u>

वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में कुल रू. 922.82 लाख अधिनीत कार्यो हेतु उपलब्ध बजट-व्यवस्था में से माह 03/2003 तक कुल रू. 714.85 लाख का व्यय कर 32.580 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया गया है एवं 70.570 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। नए कार्यो हेतु उपलब्ध बजट-व्यवस्था रू. 388.00 लाख के सापेक्ष माह 3/03 तक रू. 27.00 लाख व्यय किया गया। तथा कार्य प्रगति पर है।

(स) **मध्यांचल विकास पैकेज :-**

वर्ष 2002-03 के आय व्ययक में कुल रू0 902.09 लाख अधिनीत कार्यो हेतु उपलब्ध बजट व्यवस्था में से माह 03/2003 तक कुल रू. 848.28 लाख का व्यय कर 12.330 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया गया है एवं 39.700 कि0मी0 लम्बाई में कार्य प्रगति में है। नए कार्यो हेतु उपलब्ध बजट-व्यवस्था रू. 99.10 लाख के सापेक्ष माह 3/2003 तक रू. 00.00 लाख व्यय किया गया तथा कार्य प्रगति पर है।

(द) पूर्वांचल विकास पैकेज :

वर्ष 2002-03 के आय व्ययक में कुल रू0 1515.68 लाख अधिनीत कार्यो हेतु उपलब्ध बजट व्यवस्था में से माह 03/2003 तक कुल रू0 1234.22 लाख का व्यय कर 2.300 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया गया है एवं 51.950 कि0मी0 लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। नए कार्यो हेतु उपलब्ध बजट-व्यवस्था रू. 312.05 लाख में से माह 3/2003 तक रू. 63.10 लाख व्यय किया गया। तथा कार्य प्रगति पर है।

8- मार्ग एवं सेतुओं का अनुरक्षणः-

प्रदेश की सडकों की मरम्मत करने और उन्हें गड्ढामुक्त करने की योजनाः-

राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के अधीन की लम्बाई को छोड़कर वर्तमान में प्रदेश में लो0नि0वि0 के अधीन 1,11,235 कि.मी. का विशाल सड़क जाल है, जिसमें 3273 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग, 9,609 कि0मी0 राज्य मार्ग व 7305 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग, 25,418 कि.मी. अन्य जिला मार्ग व 65,630 कि.मी. ग्रामीण मार्ग सम्मलित है। इन मार्गो का रख रखाव विभाग द्वारा किया जाता है। यातायात घनत्व अधिक बढ़ जाने के कारण एवं संसाधनों की कमी के कारण इन मार्गो का समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा था। इससे जन-सामान्य भी काफी प्रभावित था व आवागमन में जन-सामान्य को काफी परेशानी हो रही थी। इस दृष्टिकोण से वर्तमान में मार्गो को गढढामुक्त करने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सभी राष्ट्रीय मार्ग,राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गो को गढढामुक्त रखा जा रहा है एवं अधिक से अधिक नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसको एक सतत प्रक्रिया के रूप में लिया गया है। धनाभाव के कारण सभी ग्रामीण मार्गो तथा कम महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गो को इस अभियान में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2002-03 में सड़को/सेतुओं के अनुरक्षण मद में बजट में प्राविधानित धनराशि रू. 126.00 करोड़ के अन्तर्गत राज्य मार्गो का नवीनीकरण, मार्गो को गड्ढामुक्त किये जाने का कार्य, पान्टून पुल/फेरी का अनुरक्षण, रेलवे सम्पारों का अनुरक्षण, विशेष मरम्मत आदि के कार्य कराये जा रहे हैं। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 230 करोड़ से ग्रामीण मार्गो, अम्बेडकर गांवों का नवीनीकरण /सुधार का कार्य एवं राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्गो/अन्य जिला मार्गो के नवीनीकरण एवं मार्गो पर विशेष मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। इस वर्ष राज्य मार्गो/प्रमुख जिला मार्गो एवं अन्य जिला मार्गो को पी-2/एस.डी.सी. से नवीनीकरण हेतु अनुमोदित 6387 कि0मी0 के सापेक्ष माह 3/2003 तक 3030 कि.मी. वर्ष 1995-96 एवं वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में निर्मित मार्गो की मरम्मत एवं नवीनीकरण किया जा चुका है।

9- **मार्गों का उच्चीकरण :-**

मार्गों की उपयोगिता जिला व यातायात घनत्व के आधार पर विभिन्न श्रेणी के मार्गों को उच्चीकृत करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में एक प्रमुख जिला मार्ग को उच्चीकृत कर राज्य मार्ग घोषित किया गया है।

10- **केन्द्रीय मार्ग निधि:-**

वर्ष 2001-02 में रू. 65.38 करोड़ के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह 3/2002 तक रू. 27.0776 करोड़ का शुद्व धनांवटन जारी हुआ था। माह 3/2002 के अन्त तक रू. 19.7775 करोड़ का व्यय कर कुल 53 कि.मी. लम्बाई में मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था।

वर्ष 2002-03 में रू. 96.7517 करोड़ के पुनरीक्षित बजट प्राविधान के सापेक्ष माह 3/2003 तक रू. 94.6511 करोड़ का शुद्व धनांवटन जारी हुआ था। माह 3/2003 के अन्त तक कुल रू. 85.6740 करोड़ का व्यय कर कुल 202 कि0मी0 लम्बाई मे मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा 2 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिनीत मार्ग कार्य हेतु रू. 85.23 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, लेखानुदान से निवर्तन पर प्राप्त धनराशि रू. 23.9382 करोड़ के सापेक्ष रू. 23.9382 करोड़ का आंवटन क्षेत्रों को निर्गत किया जा चुका है तथा 503.100 कि.मी. लंबाई में कार्य प्रगति पर हैं।

11- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-**

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2000-01 में हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 1000 व इससे अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों(हैबीटेशन) को वर्ष 2003 तक तथा 500 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों को 2007 तक उच्च- गुणवत्ता के सर्वऋतु योग्य सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना है। इस योजना के कियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 2000-01 की योजना हेतु जिला योजना के अधिनीत कार्यों हेतु रू. 315 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी, जिसके अन्तर्गत 5113 कार्य स्वीकृत हैं। मार्च,2002 तक 3237 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 में 03/2003 तक भी अवशेष 1876 कार्य पूर्ण किए जा चुके है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 70 जनपदों में कुल 249 पैकेजों के अन्तर्गत 1529 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा रू. 639 करोड़ की वर्ष 2001-02 में प्रदान की गयी थी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा 56 जनपदों में 1180 मार्गों का निर्माण, जिनकी लम्बाई लगभग 2050 कि. मी. तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा 14 जनपदों में 227 मार्गों, जिनकी लम्बाई 512 कि.मी. है, पर कार्य प्रारम्भ कराया गया। वित्तीय वर्ष 2002-03 में लो.नि.वि. द्वारा 160 काय पूर्ण कर 217 कि.मी. सड़क निर्माण का कार्य सम्पादित कर लिया गया है।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

1. **भवन विंग संगठनः-**

भवन निर्माण का कार्य जनपदों में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा सम्पादित किया जाता है।मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता 'भवन' (स्तर-एक) के अधिकारी तैनात है, जिनके अधीनस्थ भवनों की समीक्षा एवं परिकल्पना के लिए अधिकारी उपलब्ध है।

2- **भवन कार्यों का विवरण**

(अ) **भवन निर्माण :-**

भवन विंग द्वारा राज्य के चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, पर्यटन, पुलिस, कृषि, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा- विश्व बैंक पोषित, न्याय, राजस्व आदि विभागों के विभिन्न प्रकार के अवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तथा लो0नि0 विभाग की स्वयं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इन निर्माण कार्यो का वित्तीय प्राविधान लो0नि0वि0 के अथवा सम्बन्धित विभाग के आय-व्ययक में होता है।

(ब) **भवन अनुरक्षणः-**

विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवन, राजभवन, माननीय उच्च न्यायालय, के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम, विधान भवन तथा लो0नि0वि0 की स्वयं की सभी आवासीय कालोनियों के रख रखाव का कार्य भी सम्पादित कराया जाता है। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो0नि0वि0 के अन्य सभी भवनों तथा सर्किट हाउस व निरीक्षण भवनों के रख रखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जनपदं इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग के भवनों का रख-रखाव भी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

लो0नि0वि0 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों से सम्बन्धित कार्यो हेतु वर्ष 2002-03 में कुल बजट प्राविधान रू. 47.20 करोड़ किया गया था, जिसमें आयोजनागत कार्यो हेतु रू.0 8.10 करोड़ एवं आयोजनेत्तर कार्यो हेतु रू. 39.10 करोड़ का प्राविधान था जिससे भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव आदि का कार्य कराया गया।

इस वर्ष पूल्ड आवास योजना तथा अन्य आयोजनागत कार्यो के लिये रू0 नौ करोड़ चौरासी लाख (रू0 9.84 करोड़) का प्रस्ताव है। भवनों के अनुरक्षण के लिये रू0 अड़सठ करोड़ तिरपन लाख (रू0 68.53 करोड़) का प्रस्ताव है, जिसमें से राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आने वाले आवासीय तथा अनावसीय भवनों के लिये रू0 पैंतालिस करोड़ छयालिस लाख (रू0 45.46 करोड़) का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार भवनों के निर्माण एवम् अनुरक्षण हेतु रू0 अठहत्तर करोड़ सैंतीस लाख (रू0 78.37 करोड़) का प्राविधान है।

बाहय सहायतित कार्य (राष्ट्रीय मार्ग के कार्य को छोड़कर)

1- विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II के कार्य

हमारे प्रदेश एवम् देश के सामाजिक एवम् आर्थिक विकास हेतु अच्छे गुणवत्ता वाले मार्गों का होना आवश्यक है। प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर अन्य श्रेणियों के मार्गों की लगभग 7000 कि0मी0 लम्बाई का एक ऐसा कोर रोड नेटवर्क है जिस पर प्रदेश का ज्यादातर अर्न्तराज्यीय यातायात संचालित होता है। इस कोर रोड नेटवर्क के लगभग 3500 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों के उच्चीकरण एवं वृहद् रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक से भारत सरकार के माध्यम से ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना अर्थात स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II का निष्पादन दो चरणों में किया जाना है :-

प्रथम चरण :- 374 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का उच्चीकरण एवम् 808 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों का वृहद रखरखाव प्रस्तावित है।

द्वितीय चरण - 576 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का उच्चीकरण, 1766 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का वृहद रखरखाव, 20 कि0मी0 लम्बाई में चार बाई-पासों का निर्माण तथा 5 दीर्घ सेतुओं का निर्माण गंगा, यमुना, घाघरा व शारदा जैसी प्रमुख नदियों पर प्रस्तावित है।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 614.84 मिलियन डालर अर्थात् रू0 2952 करोड़ है, इसमें से 488 मिलियन डालर अर्थात् रू0 2342 करोड़ की धनराशि विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष धनराशि उ0प्र0 सरकार द्वारा निजी संसाधनों के माध्यम से वहन की जायेगी। भारत सरकार द्वारा उक्त 2342 करोड़ की धनराशि में से उत्तर प्रदेश सरकार को 70% धनराशि ऋण के रूप में एवम् 30% सहायता के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस परियोजना को साढ़े पांच वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। दिनांक 19.02.2003 को विश्व बैंक के साथ लोन एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर हो गये हैं एवं लोन के प्रभावी होने की तिथि 02.04.2003 है तथा समाप्ति की सम्भावित तिथि 31.12.2008 है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिट्रोऐक्टिव फाइनेन्सिंग के माध्यम से इस परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 16 पैकेजों के द्वारा 779 कि0मी0 लम्बाई में वृहद रखरखाव का कार्य रू0 314.8 करोड़ धनराशि का स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 12 पैकेजों में वृहद् रखरखाव का कार्य आरम्भ कराया जा चुका है तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा चार पैकेजों में 374.0 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो के सुधार हेतु रू0 555.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यो हेतु अनुबन्ध माह मार्च 2003 में गठित किए जा चुके है।

इसके अतिरिक्त इस परियोजना के गठन हेतु प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटिंग कन्सलटेन्सी का कार्य शासन द्वारा माह अगस्त 99 में रू0 37.36 करोड़ धनराशि पर स्वीकृत किया गया था, यह कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना पर मार्च 2003 तक कुल रू0 88.60 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

2- ऊसर भूमि सुधार योजना एवं यू0पी0 डी0ए0एस0पी0:-

" बाह्य सहायतित ऊसर भूमि सुधार योजना" के अन्तर्गत 700 कि0मी0 लम्बाई के सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में वर्ष 2002-2003 तक 197 कि.मी. पूर्ण किए जा चुके है एवं वर्ष 2003-04 में 400 कि.मी. मार्ग पूर्ण किया जाना लक्षित है।

" यू0पी0डी0ए0एस0पी0" के अन्तर्गत 32 जनपदों में कुल 2670 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव के सापेक्ष वर्ष 2002-2003 तक 1457 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्ष 2003-04 में शेष 1214 कि.मी. लम्बाई के मार्गों का निर्माण लक्षित है।

उक्त दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन लो0नि0वि0 के 5 वृत्त व 17 खण्डों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों परियोजनायें कृषि विभाग की है लोक निर्माण विभाग मात्र कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा कार्य निक्षेप कार्यों के रूप में सम्पादित कराये जा रहे है।

अन्वेषण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

1- अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग एवं रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड क्वालिटी प्रमोशन सेल के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण स्थल की मिट्टी ,भवनों, मार्गों तथा सेतुओं के निर्माण कार्यों के प्रयोग में आने वाली सामग्री का परीक्षण करना तथा उनकी संरचना की परिकल्पना करना है, जो कि विभिन्न तकनीकी कमियों को दूर करने तथा नयी तकनीक के संचार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

2. वर्ष 2002-2003 में 31.03.03 तक सम्पन्न कार्य कलापों का विवरण निम्न प्रकार है:- अन्वेषणालय में माह 03/2003 तक कोडिंग सेक्शन से प्राप्त 556 नमूनों को सम्मिलित करते हुए कुल 1670 विभिन्न निर्माण सामग्री नमूनों का परीक्षण किया गया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सम्बन्धित नमूनों को सम्मिलित करते हुए मार्गों के निर्माण से पूर्व मित्तव्ययी परिकल्पना करने हेतु कुल 534 नमूनों का आप्टिमम म्वायश्चर कन्टेंट (ओ0एम0सी0) तथा कैलिफोर्निया वीयरिंग रेशियों (सी0बी0आर0) परीक्षण अत्यन्त अल्प अवधि में सम्पन्न कराया गया।

123 कि0मी0 पूर्व निर्मित मार्गों की सतह की राइडिंग क्वालिटी ज्ञात करने हेतु रफोमीटर से रफनेस इन्डैक्स परीक्षण किया गया तथा कुल 8 कि0मी0 मार्ग का बैंकिलमैनबीम डिफ्लेक्शन टेस्ट से ओवरले ज्ञात किया गया।

3- रिसर्च डेवलपमेन्ट एवं गुणवत्ता क्वालिटी प्रमोशन प्रकोष्ठ में माह 03/2003 तक क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ में कुल 775 विभागीय तथा गैर विभागीय सामग्री नमूनों का परीक्षण किया गया तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की केन्द्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में 280 नमूनों को सम्मिलित करते हुए कुल 1055 नमूनों का परीक्षण किया गया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मार्गों निर्माण से पूर्व मित्तव्ययी परिकल्पना करने हेतु 966 मिट्टी के नमूनों की भार वहन क्षमता ज्ञात करने के लिए आप्टिमम म्वायश्चर कन्टेंट (ओ0एम0सी0) तथा कैलिफोर्निया वीयरिंग रेशियों (सी0बी0आर0) परीक्षण अत्यन्त अल्प अवधि में विभिन्न प्रयोगशालाओं में सम्पन्न कराया गया।

जनपदों में स्थापित प्रयोगशालाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनमें 3334 नमूनों की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया।

4- रिसर्च डेवलपमेन्ट तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल में पिछले 22 वर्षों में सबसें अधिक नमूनों का परीक्षण इस वर्ष किया गया।

5- वर्ष 2003-04 में 3000 नमूनों को परीक्षित करने का लक्ष्य है तथा जनपदीय प्रयोगशालाओं में अधिक से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण करने हेतु लगभग 3500 नमूनों का परीक्षण जनपदों में सम्भावित है।

विभाग का कम्पयूटरीकरण :-

वर्तमान तकनीकी युग में लोक निर्माण विभाग, जो कि प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग की कार्य प्रणाली में कम्प्यूटर एवं कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करने का निर्णय 1997-98 में लिया गया। जिससे कि विकास कार्यो के सम्पादन एवं अनुश्रवण में प्रभावी कार्यवाही समय से सम्भव हो सके। विकास कार्यों हेतु विभाग में खण्डीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) केन्द्र बिन्दु माना गया है। अतः निर्णय लिया गया है कि लोक निर्माण विभाग में खण्ड स्तर पर लखनऊ स्थित मुख्यालय स्तर तक के सभी कार्यालयों को कम्प्यूटर के माध्यम से जोड दिया जाये, जिससे कि नवीनतम विकास कार्यों के आंकड़े एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप विकास परियोजनाओं की रूपरेखा अल्प समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो सके। तद्नुसार उ. प्र. शासन द्वारा शासनादेश संख्या- 572 /23-9-98 ए.सी. /97, दिनांक 31 मार्च 1998 द्वारा विभाग के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना पर रू. 350.70 लाख धनराशि की लागत पर स्वीकृत प्रदान की गयी।

कम्प्यूटरीकरण की परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पहले उपयुक्त समझा गया कि विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के लिए कम्प्यूटरी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक स्टडी कराना लाभप्रद होगा और स्टडी के बाद ही परियोजना का क्रियान्वयन नियोजित ढंग से किया जाए।

तदानुसार भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स सी.एम.एम. लिमिटेड के माध्यम से विस्तृत स्टडी के बाद विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य क्षेत्र निर्धारित कराने के बाद विभाग के कम्प्यूटरीकरण की कार्य योजना पर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव उ. प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित कम्प्यूटर ग्रुप का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

इस अनुमोदन के अनुसार प्रथम चरण में तीन क्षेत्रों (आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी), प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं शासन स्तर पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जाना है। शेष क्षेत्रों का कार्य द्वितीय चरण में किया जायेगा। तत्पश्चात् देश की अग्रणी कम्प्यूटर कम्पनी मैसेर्स टाटा कम्सलटेन्सी सर्विसिजेज को कम्प्यूटरीकरण का कार्य खुली निविदाओं के माध्ययम से एवार्ड किया गया।

प्रथम चरण के कम्प्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर स्थापित कर दिया गया है तथा सभी साफ्टवेयर डिजाइन कर दिये गये हैं। बैंक एंड में एम.एस. सिक्वल सरवर 2000 में डाटाबेस का खाका पूर्ण रूपेण तैयार है तथा फ्रन्ट एंड में बी.बी. पर डाटा इन्ट्रीय फार्म तथा रिपोर्ट जेनरेशन फार्म तैयार है। बेसिक डाटा बैंक बनाने हेतु डाटा एकत्रित कर इन्ट्री करायी जा रही है और शीर्घ ही डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके बाद कम्प्यूटरीकरण कार्य का प्रत्यक्ष लाभ विभाग को उपलब्ध हो जायेगा। इसके बाद द्वितीय चरण के कार्यों पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

नवीनतम तकनीकी विकास की दृष्टि से विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता एंव उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के कार्यक्रम चलाये जाते है। भविष्य में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं को भर्ती के समय ही आधार भूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की योजना है। इन प्रशिक्षणों से अधिकारियों/ कर्मचारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्पयूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे वे कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यो का सम्पादन कर सकेगे ।

मुख्य रूप से निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है ।

1- राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान नोएडा में समय-समय पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

2- केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान , दिल्ली में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारियो को प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।

3- नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान , लखनऊ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में अवर अभियन्ताओं एंवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रशिक्षण लिया जाता है ।

4- राज्य नियोजन संस्थान, कालांकांकर, लखनऊ द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशासकीय प्रशिक्षणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

5- नव-नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को आधारभूत प्रशिक्षण विभाग द्वारा अन्वेषणालय /इमडप में कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय सड़क कॉग्रेस, इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स, इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट आदि संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशनों में कनिष्ठ एंव वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है। विभिन्न संस्थानों के द्वारा आयोजित अल्प अवधि के प्रशिक्षणों / सेमिनारों में भी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी । सेतु निगम ने अपने कार्यकलापों को प्रदेश एवं देश मे ही सीमित न रखकर नेपाल, यमन, ईराक आदि तक बढ़ाये हैं ।

1- वर्ष 2001-02 , 2002-03, 2003-04 में निगम द्वारा निम्न कार्य किये गये/प्रस्तावित हैं :-

(धनराशिः- रू. करोड़ में)

क.स.		2001-2002			2002-2003			2003-2004		
		निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल
1	लक्षित कार्यभार	135	150	285	100	125	225	100	150	250
	प्राप्त कार्यभार	106.40	116.00	222.40	56.87	110.0	166.87			
					(03/2003 तक)					
2	लक्षित कार्यो की सख्या	64	10	74	47	11	58	45	14	59
	प्राप्त कार्यो की संख्या	64	14	78	18	7	25			
					(03/2003 तक)					

2- सेतु निगम द्वारा वर्ष 2002-03 में 47 सेतुओं को पूर्ण करते हुए रू. 100.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा है जिसका योजनावार विवरण निम्नानुसार है इनमे से मार्च, 2003 तक 18 सेतुओं को पूर्ण करते हुए रू. 56.87 करोड़ का व्यय किया गया है । (लागत करोड़ रु0 मे)

क0सं	योजना का नाम	वर्ष 2002-03 का निर्धारित लक्ष्य		लक्ष्यों के सापेक्ष 3/03 तक उपलब्धि	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय
1	नाबार्ड 2	1	5.00	0	0.66
2	नाबार्ड.3	0	4.00	0	0.31
3	नाबार्ड.4	11	15.00	3	12.86
4	नाबार्ड--5	17	20.00	9	12.21
5	नाबार्ड--7	1	3.00	0	2.13
6	आयोजनागत	9	20.00	3	4.66
7	डाकूग्रस्त क्षेत्र योजना	0	5.00	0	1.24
8	रेलवे सुरक्षा निधि	3	20.00	0	11.51
9	अन्य निक्षेप	5	6.00	3	9.64
	योग	**47**	**98.00**	**18**	**55.22**
10	पूर्वांचल विशेष पैकेज	0	0	0	0.42
11	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	0	0	0	0.12
12	मध्यांचल विशेष पैकेज	0	0	0	0.04
13	पश्चिमांचल विशेष पैकेज	0	0	0	0.00
	योगः-	**47**	**98.00**	**18**	**55.30**
14	उत्तरांचल	**0**	**2.00**	**0**	**1.07**
15	बी0ओ0टी0	**0**	**0.00**	**0**	**0**
	योगः-	**47**	**100.00**	**18**	**56.87**
16	निविदा	**11**	**125.00**	**7**	**110.00**
	महायोगः-	**58**	**225.00**	**25**	**166.87**

3 सेतु निगम द्वारा वर्ष 2003-2004 में 45 निक्षेप कार्यो को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है एवं निक्षेप कार्यों पर रू. 100.00 करोड़ व्ययभार करने का लक्ष्य निर्धारित है इसके अतिरिक्त 14 निविदा कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू.150.00 करोड़ व्ययभार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है योजनावार विवरण निम्नानुसार हैं :-

(धनराशि करोड़ में)

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2003-2004 के लिये निर्धारित लक्ष्य	
		कार्यो की संख्या	कार्यों पर व्यय
1	नाबार्ड-2	1	7.00
2	नाबार्ड-3	2	5.00
3	नाबार्ड-4	10	15.00
4	नाबार्ड-5	11	15.00
5	नाबार्ड-7	2	4.00
6	आयोजनागत	6	18.00
7	डाकूग्रस्त क्षेत्र योजना	0	5.00
8	रेलवे सुरक्षा निधि	2	15.00
9	अन्य निक्षेप	9	9.00
	योगः-	**43**	**93.00**
10	पूर्वांचल विशेष पैकेज	1	3.00
11	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	0	2.00
12	मध्यांचल विशेष पैकेज	1	2.00
13	पश्चिमांचल विशेष पैकेज	0	0.00
	योगः-	**2**	**7.00**
14	उत्तरांचल विकास निधि	0	0.00
15	बी0ओ0टी0	0	0.00
	योगः-	**45**	**100.00**
16	निविदा	14	150.00
	महायोगः-	**59**	**250.00**

4- निविदा कार्यः- सेतु निगम द्वारा उत्तर प्रदेश व भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में खुली निविदा के आधार पर निम्न कार्य प्रगति पर है।

(धनराशि रू. करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	कार्यो की संख्या	कार्यो का मूल्य
1	उ0प्र0 के निविदा कार्य	6	40.00
2	अन्य प्रदेशों में निविदा कार्य	23	482.00
	योगः-	29	522.00
	वर्ष 2002-03 में पूर्ण किये गये सेतु कार्य	7	110.00
	वर्ष 2003-04 में पूर्ण करने का लक्ष्य	14	150.00

वर्तमान में 29 निविदा कार्य प्रगति में है। जिनकी कुल लागत रू. 522.00 करोड़ है इसमें से वर्ष 2003-04 में रू. 150.00 करोड़ कार्यभार के सापेक्ष 14 कार्यो को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। निविदा के अन्तर्गत प्राप्त नये कार्यो को आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

5- **रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुः-** वर्तमान में 10 रेल उपरिगामी /अधोगामी सेतुओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त निम्न रेलवे उपरिगामी सेतुओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

1 जनपद बरेली में पीलीभीत बरेली भरतपुर मार्ग (चौपाला क्रासिंग) उ0रे0 के सम्पार संख्या- 358 स्पेशल पर उपरिगामी सेतु **रू0 15.17 करोड़**

6- <u>बाहय श्रोतों से वित्तीय संसाधन :-</u> नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.- 2 के 80 सेतुओं की लागत रू. 139.04 करोड़ एवं आर.आई.डी.एफ.- 3 के 25 सेतुओं की लागत रू. 30.70 करोड़ योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 105 सेतुओं के सापेक्ष नाबार्ड-2 में 74 सेतु एवं नाबार्ड-3 में 24 सेतु कुल 98 सेतुओं का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें से 4 सेतुओं का कार्य प्रगति पर है। शेष सेतु पूर्ण किये जा चुके है।

नाबार्ड-4 (आर0आई0डी0एफ0-4) के अन्तर्गत 86 सेतुओं का निर्माण किया जाना है जिनकी लागत रू. 110.86 करोड़ है। जिसमें 63 सेतुओं को पूर्ण किया जा चुका है। उत्तरांचल में एक सेतु बनाया जाना था जो कि पूर्ण है। शेष सेतुओं का कार्य प्रगति पर है।

नाबार्ड-5 (आर0आई0डी0एफ0-5) के अन्तर्गत 39 सेतुओं को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण हेतु अनुमोदित किया गया है। जिसमें 34 सेतुओं की वित्तीय स्वीकृति रू. 48.20 करोड़ की धनराशि निर्गत हो चुकी है, जिसमें से 15 सेतुओं को पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

नाबार्ड-7(आर.आई.डी.एफ.-7) के अन्तर्गत 95 सेतुओं के प्रस्ताव रू. 222.00 करोड़ के प्रेषित किये गये हैं जिसमें 38 सेतुओं का अनुमोदन नाबार्ड द्वारा किया जा चुका है। जिसमें से 12 सेतुओं की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। जिनकी लागत रू. 23.50 करोड़ है। इन स्वीकृत सेतुओं में से दो सेतुओं का कार्य प्रगति पर है। शेष को आरम्भ करने की कार्यवाहीं की जा रही है।

7- <u>बी0ओ0टी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य:-</u> उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नयी मार्ग विकास नीति की घोषणा वर्ष 1998 में की गयी थी। सेतु निगम को बी0ओ0टी0 स्कीम के अन्तर्गत मार्ग एंव सेतु के निर्माण हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया था। जनपद सोनभ्रद में सोन नदी पर एक सेतु का निर्माण बी0ओ0टी0 योजना के अन्तर्गत रू. 44 करोड़ लाख लागत का जनवरी 1999 में आरम्भ करके 01.01.2002 को पूर्ण कर यातायात के लिए खोल दिया गया है वर्तमान में कोई परियोजना बी0ओ0टी0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन नही है।

8- **लाभ/हानि की स्थिति :-**

सेतु निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 के लेखों के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य रू. 222 करोड़ है एवं रू. 1.40 करोड़ की हानि अनुमानित है। वर्ष 2002-03 में कुल कार्य का मूल्य रू. 144. 06 है तथा 5.46 करोड़ की हानि अनुमानित है। वर्ष 2000-2001 तक के लेखे पूर्ण हो चुके है एवं निगम का संचित लाभ रू. 13.01 करोड़ है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया। उस समय इस निगम का प्रदत्त अंशदान मात्र 5 लाख रू0 था जो कि वर्ष 1977 में बढ़कर 100 लाख रू0 कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंश पूँजी 500 लाख रूपये है।

1. <u>निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्यः-</u>

प्रदेश एवं देश में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, भवनों का अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण, बैराज, डैम्स, एक्वाडक्ट,पुल, कल्वर्टस, रोडवेज का निर्माण, विद्युतीय एवं सेनेटरी इन्स्टालेशन, औद्यौगिक परियाजनायें (तापीय विद्युत गृहों,कताई मिल,चीनी मिल, प्रासेस फैक्ट्री आदि) का कार्य, नगर एवं गाँव के विकास कार्यो में माध्यमिक स्कूल, डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय,आदि के निर्माण में सहभागिता निभाना है।

उपरोक्त के अलावा निगम राज्य सरकार की सड़कों,भवनों के अनुरक्षण आदि का कार्य भी कर सकता है ताकि आधुनिक प्रबन्धकीय प्रणाली से इनका निर्माण/ अनुरक्षण हो सके ।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यो में मितव्ययता,गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ-साथ पारदर्शिता है।

इसी क्रम में, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित वेतन एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना एवं तकनीकी योग्यता धारक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

2- <u>निगम की कार्य प्रणालीः-</u>

निगम द्वारा समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते है जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे ईट, लोहा, सीमेन्ट आदि का क्रय जहाँ तक सम्भव है, सीधे निर्माताओं या अधिकृत वितरकों से किया जाता है। निर्माण के कार्य छोटे-छोटे श्रमिकों (पी.आर.डब्लू.) के माध्यम से किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त दिल्ली, उड़ीसा महाराष्ट्र, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

3. <u>संगठनात्मक ढाँचाः-</u>

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इसे 8 कार्यकारी अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके अन्तर्गत 78-कार्यकारी इकाईयाँ कार्यरत हैं। मुख्यालय पर तकनीकी एवं वित्तीय समन्वय हेतु वास्तुविदीय विंग, परिकल्पना विंग, कम्पनी सचिव विंग,वित्त एवं लेखा विंग,वाणिज्य विंग, संविदा विंग एवं कार्मिक विंग स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक विंग का संचालन महाप्रबन्धक स्तर के

अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिनमें से यॉंत्रिक व विद्युत विंग द्वारा परिकल्पना व समन्वयं के कार्यो के साथ-साथ निर्माण इकाईयों के कार्यो पर सीधे नियंत्रण भी किया जा रहा है।

4- उपलब्धियॉं:-

विगत पॉंच वर्षो में निगम द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति एवं किये गये कार्यो के टर्न-ओवर की उपलब्धि निम्न प्रकार रहीं:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (लाख रू0 में)
1997-98	25000	22938
1998-99	27000	23197
1999-2000	30000	19292
2000-2001	31000	20123
2001-2002	26000	20392

5- **वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण:-**

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में निर्माण निगम द्वारा रू0 26000 लाख के कार्य सम्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध रू0 23122 लाख के कार्य मार्च, 2003 तक कराये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

(i) **निक्षेप कार्य :-**

निक्षेप कार्य के अर्न्तगत शासन के विभिन्न विभागों/ संस्थाओं के 902 कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रू0 20000 लाख लक्ष्य के विरूद्ध रू0 20966 लाख का कार्य मार्च, 2003 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

(II) **निविदा कार्य :-**

खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा एवं निगोशियेशन के आधार पर प्राप्त 133 निविदा कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रू0 6000 लाख लक्ष्य के विरूद्ध रू02156 लाख का कार्य मार्च, 2003 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

क्रम सं0	कार्य का प्रकार	सक्रिय कार्यो की संख्या	वर्ष का लक्ष्य लाख रूपये में	वित्तीय वर्ष, 2002-2003 में मार्च, 2003 तक का टर्न ओवर लाख रूपये में	टिप्पणी
1.	निक्षेप कार्य	902	20000	20966	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं दिल्ली में कार्य किये जा रहे है।
2.	निविदा कार्य	133	6000	2156	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में कार्य किया जा रहा है।
	कुल योग:-	1035	26000	23122	

6. वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरणः-

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रू0 30000 लाख के कार्य अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध मार्च, 2003 तक लगभग रू0 33214 लाख के निर्माण कार्य तथा रू 10592 लाख के कन्सलटेन्सी कार्य अर्जित किये गये हैं ।

7. वित्तीय वर्ष 2003-04 का लक्ष्यः-

वित्तीय वर्ष 2003-2004 हेतु रू0 27500 लाख के कार्य सम्पादित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें रू0 25000 लाख का निक्षेप कार्यो हेतु तथा रू0 2500 लाख का लक्ष्य निविदा कार्यो हेतु एवं कन्सल्टेन्सी कार्यो हेतु रू0 5000 लाख का लक्ष्य निर्धारित है।

8. लेखों की स्थितिः-

(अ)- निगम के वर्ष 2000-2001 तक के लेखे वार्षिक समान्य सभा में अंतिम हो चुके हैं। वर्ष 2001-2002 के लेखों को निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जा चुका है तथा लेखे महालेखाकार, उ0प्र0 को टिप्पणी हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिस पर टिप्पणी अपेक्षित है।

(ब)- **लाभ / हानि की स्थिति**
वर्ष 2001-2002 में रू0 328.21 लाख की हानि हुई है। निगम का कुल संचित लाभ रू0 692.87 लाख है।

9. लागत में नियन्त्रणः-

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य-मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट, स्टील, केबिल, फिटिंग आदि की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है, जिससे सीमेन्ट तथा स्टील के क्रय में बचत हुई है।

10. गुणवत्ता नियन्त्रणः-

निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से कार्य-स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय-समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता है।

11. कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणालीः-

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय द्वारा प्रभावी समीक्षा अनुश्रवण किया गया है। इसके अर्न्तगत मुख्यालय पर वाणिज्य, वित्त व लेखा, तकनीकी, वास्तुविदीय, व्यवस्थापन हेतु महाप्रबन्धक (मुख्यालय) विंग को प्रथम चरण में कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा द्वितीय चरण में अंचलीय कार्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन 2002-2003 (उत्तरांचल के गठन के बाद दि0 01.06.2003 की स्थिति)

प्रमुख अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता (भवन) स्तर-1
1- अधी0अभि0 (ई0-2)
2- तकनीकी कोष्ठ-1
3- अधी0अभि0 10वाँ वृत्त (3 खण्ड)
4- 39वाँ वृत्त लखनऊ अधि0 अभि0 कार्यालय (6 खण्ड) सहा0अभि0 राज भवन सहा0अभि0 विधान भवन सहा0अभि0 विधान भवन (विद्युत)
5. निदेशक अन्वेषणालय उप निदेशक-3 अधि0अभि0 (क्षेत्र)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 डाम्प व सोडिक
1- अधी0अभि0 (नियोजन)
2- मार्ग सर्वे खण्ड- 4 लखनऊ
3 यू.पी. डी.ए.एस.पी. वृत्त (पूर्व), लखनऊ (3 खण्ड)
4 यू.पी. डी.ए.एस.पी. वृत्त (पश्चिम), मेरठ (3 खण्ड)
5 यू.पी. डी.ए.एस.पी. वृत्त वाराणसी (5 खण्ड)
6 यू.पी. डी.ए.एस.पी. वृत्त आगरा (3 खण्ड)
6- 55वाँ वृत्त लखनऊ अधि0अभि0 का0 (3खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (विश्व बैंक परियोजना)
1- परियोजना निदेशक, स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 लखनऊ (2 खण्ड) अधि0अभि0-1
2- विश्व बैंक योजना वृत्त लखनऊ (4 खण्ड)
3- एस0आर0पी0-2 वृत्त, बरेली (3 खण्ड)
4- एस.आर.पी-2, वृत्त, आजमगढ़ (4 खण्ड)
5- विश्व बैंक योजना वृत्त मेरठ (3 खण्ड)
6- विश्व बैंक योजना वृत्त गोरखपुर (2 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (मुख्यालय-2)
1- अधी0अभि0 (ई-3)
2- अधी0अभि0 (सामान्य)
3- अधी0अभि0 वाद (1खण्ड)
4- वैयक्तिक सहायक (मि0)
5- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (परिवाद)
1- वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (परिवाद)
2- अधि0अभि0 (परिवाद)
3- मार्ग सर्वे खण्ड-6 लखनऊ

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (मुख्यालय-1)
1- 31वाँ वृत्त लखनऊ (3 खण्ड)
2- 7वाँ वृत्त नियोजन लखनऊ अधि0अभि0 नियोजन-1-2 यातायात अध्ययन एवं सर्वे खण्ड, लखनऊ
3- 37वाँ वृत्त परियोजना बी0डी0डी0-11 अधि0अभि0 यातायात मार्ग सर्वे खण्ड-5
4- निदेशक अन्वेषणालय

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 उ0प्र0 क्षेत्र बरेली
1- अधी0अभि0 क्षेत्र कार्या0
2 अधि0अभि0 सम्बद्ध
3- बरेली/शाहजहांपुर अधी.अभि. कार्या0 (5 खण्ड)
4- बदायूं/पीलीभीत वृत्त बदायूं अधि0अभि0 कार्या0 (3 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (विद्युत यांत्रिक)
1- अधि0अभि0 (अधिप्राप्ति)
2- तकनीकी कोष्ठ-15
3- 17वां वृत्त लखनऊ (5 खण्ड)
4- 30वां वृत्त (वि/यां) लखनऊ अधि0अभि0 (5 खण्ड)
5- 47वां वृत्त(वि/यां) मुरादाबाद अधि0अभि0-1 (4 खण्ड)
6- 44वां वृत्त (वि/यां) वाराणसी अधि0अभि0-1 (4 खण्ड)

मु0 वास्तुविद मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के अधिकारी, तीन वरिष्ठ वास्तुविद, 9 वास्तुविद

मु0 अभि0 स्तर-2 मुरादाबाद
1- अधी0अभि0-1
2- अधि0अभि0 सम्बद्ध
3- मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद अधि.अभि. का0 (5 खण्ड)
4- रामपुर बिजनौर वृत्त रामपुर अधि.अभि. का0 (4 खण्ड)

स्टाफ आफीसर (अधीक्षण अभियन्ता स्तर के)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़
1- अधी0अभि0-1
2- आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़ अधि0अभि0-1 (4 खण्ड)
3- बलिया वृत्त कार्यालय अधि0अभि0-1 (3 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 पूर्वी क्षेत्र वाराणसी
1- अधी0अभि0 क्षेत्र कार्या0
2- अधि0अभि0- 1
3- वाराणसी/गाजीपुर वृत्त वाराणसी अधि0अभि0 कार्या0 (7 खण्ड)
4- मिर्जापुर सोनभद्र भदोही वृत्त मिर्जापुर अधि0अभि0 कार्या0 (5 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 इलाहाबाद क्षेत्र इलाहाबाद
1- अधी0अभि0-1
2- अधि0अभि0
3- इलाहाबाद वृत्त इलाहाबाद अधि0अभि0 कार्यालय (6 खण्ड)
4- प्रतापगढ़ फतेहपुर वृत्त प्रतापगढ़ अधि0अभि0 कार्यालय (5 खण्ड)

1- अधि0अभि0 वी.डी.डी.-12 लखनऊ

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 राष्ट्रीय मार्ग
1- अधी0अभि0 रा.मा.
2- अधी0अभि0 11वाँ वृत्त (2 खण्ड)
3- 16वां वृत्त कानपुर अधि0अभि0 कार्या0 (7 खण्ड)
4- 18वां वृत्त इलाहाबाद अधि.अभि.का0 (5 खण्ड)
5- 28वां वृत्त बरेली अधि0अभि0 कार्या0 (7 खण्ड)
6- 57वां वृत्त, लखनऊ अधि0अभि0 (7 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 प0क्षे0 मेरठ
1- अधी.अभि. क्षेत्र कार्या0
2- अधि0अभि0 सम्बद्ध
3- मेरठ वृत्त मेरठ अधि.अभि. कार्या0 (3 खण्ड)
4- सहारनपुर वृत्त सहारनपुर अधि.अभि. कार्या0 (4 खण्ड)
5- बुलन्दशहर गाजियाबाद वृत्त बुलन्दशहर अधि.अभि. कार्या0 (7 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 आगरा क्षेत्र आगरा
1- अधी.अभि. क्षेत्र कार्या0
2- आगरा फिरोजाबाद वृत्त आगरा, अधि.अभि. कार्या0 (6 खण्ड)
3- अलीगढ़ मथुरा वृत्त, अलीगढ़, अधि.अभि. कार्या0 (6 खण्ड)
4- एटा मैनपुरी हाथरस वृत्त, एटा अधि.अभि. कार्या0 (6 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 झांसी क्षेत्र झांसी
1- अधी.अभि. क्षेत्र कार्या0
2- झांसी ललितपुर वृत्त झांसी, अधि.अभि. कार्या0 (5 खण्ड)
3- बांदा वृत्त बांदा अधि.अभि. कार्या0 (7 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 द0प्र0 क्षेत्र, कानपुर
1- अधी.अभि. क्षेत्र कार्या0
2- अधि0अभि0-1
3- कानपुर वृत्त कानपुर अधि.अभि. कार्या0 (6 खण्ड)
4- इटावा वृत्त इटावा अधि.अभि. कार्या0 (7 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 मध्य क्षेत्र, लखनऊ
1- अधी.अभि. क्षेत्र कार्या0
2- अधि0अभि0 (सम्बद्ध)-1
3- लखनऊ रायबरेली वृत्त लखनऊ, अधि.अभि. कार्या0 (7 खण्ड)
4- सीतापुर खीरी वृत्त सीतापुर, अधि.अभि. कार्या0 (6 खण्ड)
5- उन्नाव हरदोई वृत्त, उन्नाव अधि.अभि. कार्या0 (6 खण्ड)
6- अधी0अभि0 (व्यवस्थापन)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 फैजाबाद क्षेत्र, फैजाबाद
1- अधी.अभि. क्षेत्र कार्या0
2- फैजाबाद अकबरपुर सुल्तानपुर वृत्त, फैजाबाद अधि0अभि0 कार्या0 (8 खण्ड)
3- बाराबंकी बहराइच वृत्त बाराबंकी, अधि.अभि. कार्या0 (7 खण्ड)
4- गोण्डा वृत्त, गोण्डा अधि.अभि. कार्या0 (4 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर
1- अधी.अभि. क्षेत्र कार्या0
2- गोरखपुर महाराजगंज वृत्त गोरखपुर अधि0अभि0 कार्या0 (5 खण्ड)
3- बस्ती सिद्धार्थनगर वृत्त, बस्ती, अधि.अभि. कार्या0 (7 खण्ड)
4- देवरिया पडरौना वृत्त देवरिया अधि.अभि. कार्या0 (4 खण्ड)

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
1- अधी.अभि. (अनुश्रवण)
2- अधि.अभि. (अनुश्रवण)-1
3- अधि.अभि. (अनुश्रवण)-2

तालिका ''क''

वित्तीय आवश्यकतायें कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण – भवन निर्माण (लो0नि0वि0)

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय (2001-02)			आय-व्ययक अनुमान (2002-03)			पुनरीक्षित अनुमान (2002-03)			आय-व्ययक अनुमान (2003-2004)		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अनुदान सं0 - 55												
1	अनावसीय भवन (भारित)												
	राज भवन												
(अ)	मूल निर्माण (4059)	-	-	-	-	35.06	35.06	-	35.06	35.06	-	97.21	97.21
(ब)	अनुरक्षण (2059)	-	107.40	107.40	-	107.40	107.40	-	107.40	107.40	-	112.40	112.40
(स)	योग (भारित)		**107.40**	**107.40**		**142.46**	**142.46**		**142.46**	**142.46**		**209.61**	**209.61**
2	अनावासीय भवन (मतदेय)												
(अ)	निर्माण (4059)	-	101.00	101.00	23.24	366.15	389.39	18.75	379.90	398.65	81.99	1214.13	1296.12
(ब)	अनुरक्षण और मरम्मत(2059)	5.00	1305.29	1310.29	5.07	2261.56	2266.63	2.50	2183.88	2186.38	5.07	2714.18	2719.25
(स)	योग (मतदेय)	**5.00**	**1406.29**	**1411.29**	**28.31**	**2627.71**	**2656.02**	**21.25**	**2563.78**	**2585.03**	**87.06**	**3928.31**	**4015.37**
	अना0 कुलयोग अनु0सं0 55	**5.00**	**1513.69**	**1518.69**	**28.31**	**2770.17**	**2798.48**	**21.25**	**2706.24**	**2727.49**	**87.06**	**4137.92**	**4224.98**
3	आवासीय भवन (भारित)												
	राज भवन												
(अ)	मूल निर्माण (भारित) (2216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	अनुरक्षण (भारित) (2216)	-	30.55	30.55	-	30.55	30.55	-	30.55	30.55	-	30.55	30.55
(स)	बिक्री सम्बन्धी धन(भारित) (2216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(द)	योग (भारित)		**30.55**	**30.55**		**30.55**	**30.55**		**30.55**	**30.55**		**30.55**	**30.55**
4	आवासीय भवन (मतदेय)												
(अ)	निर्माण (4216)	427.44	-	427.44	797.60	150.69	948.29	367.52	150.69	518.21	574.02	422.95	996.97
(ब)	अनुरक्षण और मरम्मत (2216)	-	746.21	746.21	-	1387.25	1387.25	-	1345.97	1345.97	-	1504.60	1504.60
(स)	योग (मतदेय)	**427.44**	**746.21**	**1173.65**	**797.60**	**1537.94**	**2335.54**	**367.52**	**1496.66**	**1864.18**	**574.02**	**1927.55**	**2501.57**
	आवा0 कुलयोग-अनु0सं0-55	**427.44**	**776.76**	**1204.20**	**797.60**	**1568.49**	**2366.09**	**367.52**	**1527.21**	**1894.73**	**574.02**	**1958.10**	**2532.12**
	योग - अनुदान सं0 - 55	**432.44**	**2290.45**	**2722.89**	**825.91**	**4338.66**	**5164.57**	**388.77**	**4233.45**	**4622.22**	**661.08**	**6096.02**	**6757.10**

तालिका ''क''

अनुदान संख्या- 57

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्य क्लापों का वर्गीकरण

कम संख्या	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2001-2002			आय व्ययक का अनुमान 2002-03			पुनरीक्षित अनुमान 2002-03			आय व्ययक का अनुमान 2003-04		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	राजस्व लेखा 3054 सड़क तथा सेतु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	पूंजीलेखा 5054 सड़कों तथा सेतुओं का पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21260.84	1248.39	22509.23
	महायोगः-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21260.84	1648.39	22909.23

तालिका "क"

अनुदान संख्या- 58

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्य क्लापों का वर्गीकरण

कम संख्या	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2001-2002			आय व्ययक का अनुमान 2002-03			पुनरीक्षित अनुमान 2002-03			आय व्ययक का अनुमान 2003-04		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3054 सड़क तथा सेतु												
	(मतदेय)	0.00	53656.52	53656.52	0.00	53096.97	53096.97	0.00	66387.97	66387.97	0.00	72840.93	72840.93
	(भारित)-	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	20.71	0.00	20.71
	4225- अनुसूचित जातिया /जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पंजीगत परिव्यय	2585.49	24.32	2609.81	8170.75	0.00	8170.75	7418.75	0.00	7418.75	0.00	0.00	0.00
	5054-सड़को तथा सेतुओं पर पंजीगत परिव्यय												
	(मतदेय)	28460.40	9432.97	37893.37	71013.84	11850.30	82864.14	74863.60	9850.30	84713.90	97907.01	7812.61	105719.62
	(भारित)	33.87	0.00	33.87	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00
	7075-अन्य परिवहन सेवाओ के लिए कर्ज	642.10	0.00	642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महायोग:-	31721.86	63113.81	94835.67	79734.59	64952.27	144686.86	82832.36	76243.27	159075.63	98477.72	80658.54	179136.26

तालिका -ख

उद्देशानुसार वर्गीकरण (अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लो0नि0 कार्य की सूचना)

क्रम सं0	मद	वास्तविक व्यय 2001-02			आय-व्यय अनुमान 2002-03			पुनरीक्षित अनुमान 2002-03			आय व्ययक अनुमान 2003-04		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेतन	37.42	34641.38	34678.80	31.80	32309.44	32341.24	37.42	32543.11	32580.53	40.50	34170.26	34210.76
2	महंगाई भत्ता	16.67	10086.12	10102.79	15.90	11154.72	11170.62	16.67	18551.23	18567.90	22.68	19135.35	19158.03
3	यात्रा भत्ता		183.08	183.08	0.34	193.75	194.09	0.00	193.75	193.75	0.36	260.75	261.11
4	अन्य भत्ता	6.09	1820.68	1826.77	2.86	2007.85	2010.71	6.09	1939.91	1946.00	4.05	2405.36	2409.41
5	कार्यालय व्यय आदि		383.65	383.65	0.41	328.70	329.11	0.41	315.00	315.41	0.41	670.17	670.58
	योग	**60.18**	**47114.91**	**47175.09**	**51.31**	**45994.46**	**46045.77**	**60.59**	**53543**	**53603.59**	**68.00**	**56641.89**	**56709.89**

नोट :- 01 वेतन की मद में 05, 02 मजदूरी की धनराशि भी सम्मिलित है।

तालिका "ग"

वित्तीय साधनों के श्रोत

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	वास्तविक व्यय 2001-2002			आय व्ययक का अनुमान 2002-03			पुनरीक्षित अनुमान 2002-03			आय व्ययक का अनुमान 2003-04		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुदान संख्या 54	60.18	47114.91	**47175.09**	51.31	45994.46	**46045.77**	60.59	53543.00	**53603.59**	68.00	56641.89	**56709.89**
2	अनुदान संख्या 55	432.44	2290.45	**2722.89**	825.91	4338.66	**5164.57**	388.77	4233.45	**4622.22**	661.08	6096.02	**6757.10**
3	अनुदान संख्या 57	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	21260.84	1648.39	**22909.23**
4	अनुदान संख्या 58	31721.86	63113.81	**94835.67**	79734.59	64952.27	**144686.86**	82832.36	76243.27	**159075.63**	98477.72	80658.54	**179136.26**
	महायोगः-	**32214.48**	**112519.17**	**144733.65**	**80611.81**	**115285.39**	**195897.20**	**83281.72**	**134019.72**	**217301.44**	**120467.64**	**145044.84**	**265512.48**

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 1 सा० लोक निर्माण—(1742)—2003—1200प्रतियाँ—(आफसेट)।